



कार्यालय मुख्य अभियंता
आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।

पत्रांक: २६२/०/८६/२०२०

दिनांक २६/१२/२०२०

कार्यालय आदेश

उपाध्यक्ष महोदय के अनुमोदन दिनांक 19.12.2020 के क्रम में ई-निविदाओं में धरोहर धनराशि RTGS/NEFT के माध्यम से ही स्वीकृत की जायेगी अन्यथा की दशा में ई-निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। अतः भविष्य में होने वाली ई-निविदाओं में धरोहर धनराशि RTGS/NEFT के माध्यम से ही स्वीकृत होगी।

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

(एस.के.नागर)
मुख्य अभियंता

- प्रतिलिपि:-
- 1 उपाध्यक्ष महोदय को अवलोकनार्थ।
 - 2 सचिव महोदय को सूचनार्थ।
 - 3 वित्त नियंत्रक को सूचनार्थ।
 - 3 समस्त अधिशासी अभियंताओं को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
 - 4 प्रभारी ई-निविदा को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
 - 5 सहा.अभि. तकनीकी को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
 - 6 गार्ड फाइल हेतु।


मुख्य अभियंता